



UPSN060000241991

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) द्वितीय, भदोही-ज्ञानपुर
पीठासीन अधिकारी (शिंजिनी यादव) (उ० प्र० न्यायिक सेवा-UP03473)
प्रकीर्ण वाद संख्या **45/1991**

श्रीराम पुत्र जगदीश प्रसाद साकिन मुहल्ला जलालपुर कस्बा भदोही तालुका चौथार
तहसील भदोही।

.....सायल

बनाम

जयप्रकाश पुत्र कृष्णमुरारी निवासी मुहल्ला जलालपुर कस्बा भदोही तालुका चौथार
तहसील भदोही

.....तरफसानी

-निर्णय-

- 01.** यह प्रकीर्ण वाद आवेदक द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 2 ए के अंतर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या-55/1982 में पारित निषेधाज्ञा आदेश दिनांकित 09/02/1982 का उल्लंघन करने के कारण विपक्षी को उचित दण्ड दिया जाये।
- 02.** प्रार्थी/सायल द्वारा प्रार्थना पत्र 4 ग के माध्यम से संक्षेप में यह कथन किया है कि मुद्दई सायल ने एक किता दावा दीवानी मुकदमा नम्बर 55 सन् 1982 बाबत हुकुम ए इम्तिनाई दावामी खिलाफ तरफसानी जयप्रकाश व चन्द्रमोहन बशमूल बासदेव इस अप्र से अदालत श्रीमान् मुंसिफ भदोही स्थान ज्ञानपुर, में दाखिल किया कि तरफसानी व चन्द्रमोहन बजमाना हाल या आइन्दा किसी किस्म की कोई तामीरात, तसीम, तनसीख अंदर जमीन निजाई न करें और जमीन निजाई मुजहिरा हरूफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे मुन्दर्ज नक्शा जैल अरजी नालिश की यथास्थिति कायम रखें और नवइयत जमीन निजाई तब्दील न करें। उपरोक्त मूल मुकदमा में बासदेव मुद्दालेह नं० 3 घर पर मौजूद न रहने के कारण फरीक मुकदमा करार दिया गया और उसके हक में भी डिगरी हम वादी ने मांगा था व दरखास्त हुकुम ए इम्तिनाई मजकूर पर अदालत हाजा द्वारा आदेश मोवरख 09/02/1982 पारित हुआ कि

"Issues notice fixing 11.3.82 for objection and disposal meanwhile status quo to be maintained on plot in suit compliance w/o 39 R 3 CPC."

उपरोक्त आदेश हुकुम ए इम्तिनाई अदालत द्वारा बतारीख 14/07/1982 को तात्सफिया दरखास्त हुकुम ए इम्तिनाई आरजी कागज

सं० 6 ग Extend किया गया जो अब तक कायम व बहाल है। मुद्रई सायल की दरखास्त बाबत इजरा कमीशन पर श्री लालजी त्रिपाठी एडवोकेट ने विवादित स्थल का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट मय नक्शा दि० 16/02/1982 को अदालत हाजा में दाखिल किया। वकील कमिश्नर जब विवादित मौके पर गए तो वहां तरफसानी मौजूद मिले तरफसानी को वकील कमिश्नर ने आदेश हुक्म अदालत पढ़कर सुनाया व समझा दिया और यह भी बता दिया कि वे जायदाद की यथास्थिति कायम रखने के लिए अदालत हाजा द्वारा बाध्य किया जा चुका है तथा नोटिस हुक्म ए इम्तिनाई लेने को कहा मगर तरफसानी ने नोटिस नहीं लिया और साफ तौर पर इनकार कर दिया। वाद अजा तरफसानी हाजिर अदालत आया और दरखास्त मोहलत बाबत जवाब व एतराज दिया इस तरीक पर भी तरफसानी को अदालत हाजा की बखूबी जानकारी हो गयी और उसे यह भी बखूबी जानकारी हो गयी कि वह जायदाद निजाई में तरमीम व तनसीख करने से बाध्य किया जा चुका है तथा जायदाद निजाई की यथास्थिति कायम रखने के लिए भी उसको आदेश पारित हो चुका है। मूल मुकदमा दीवानी में तरफसानी ने मुकम्मल जवाबदेही दाखिल किया जिस पर तनकीहात बनाए गए। तरफसानी ने जानबूझकर हुक्म अदालत की तौहीन करने की नियत से बमाह अगस्त सन् 1983 को एक खिड़की जमीन निजाई में गोदाम जिसमें रहते हैं दक्षिणी दीवाल में दरवाजे के पूरब तरफ लगा लिया और मुकम्मल चिमनी लगा लिया और सीढ़ी लगाकर चिमनी का कार्य शूल कर दिया और रंग पकाने का काम जारी कर दिया और इस समय भी रंगाई का कार्य चल रहा है। तरफसानी के फेल बेजा की वजह से मुद्रई सायल ने तरफसानी के विरुद्ध हसब आर्डर 39 कायदा 2 ए जाब्ता दीवानी के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 06/09/1983 व 07/09/1983 को दिया जो मुकदमा नम्बर 201 मुतफरका दीवानी सन् 1983 है। मुद्रई सायल के दरखास्त पर वकील कमिश्नर श्री लालजी त्रिपाठी ने मुकदमा नम्बर 201 मुतफरका सन् 1983 में विवादित स्थल का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट अदालत हाजा में दाखिल किया। मुकदमा नम्बर-201 मुतफरका दीवानी सन् 1983 श्रीराम बनाम जयप्रकाश में बतारीख 18/03/1985 को अदालत हाजा ने तरफसानी को अदालत हाजा के आदेश का उल्लंघन करने पर मुद्रई सायल के प्रार्थना पत्र हसब ऑर्डर -39 कायदा 2 ए जाब्ता दीवानी के तहत यह आदेश पारित किया कि विवादित सम्पत्ति को 6 माह के लिए कुर्क की जाती है तथा विपक्षी को एक माह का व्यवहार कारावास की सजा दी जाती है। आदेश मोवरख 18/03/1985 के विरुद्ध तरफसानी ने अदालत अपर जिला न्यायाधीश के यहा अपील दाखिल किया जो नं० मुकदमा 19 मुतफरका दीवानी अपील सन् 1985 जयप्रकाश बनाम श्रीराम के नाम से कायम होकर श्रीमान् सिविल जज साहब ज्ञानपुर के यहां विचाराधीन है। बावजूद

आदेश अदालत हाजा बाबत बनाये रखने यथास्थिति जमीन निजाई मुजहिरा हरूफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे मुन्दर्ज नक्शा जैल अरजी नालिश तरफसानी जयप्रकाश ने विवादित स्थल पर कूड़ा पर चरखी लगाकर रंग पकाने वाली मशीन तथा फॉउण्डेशन बनवाकर जनरेटर सेट बमाह सितम्बर सन 1983 में लगा लिया और मुद्दई सायल द्वारा मना किये जाने पर तरफसानी पर कोई असर नहीं पड़ा। मुद्दई सायल अपनी लड़की का दिन 10/05/1990 को एक्सीडेण्ट हो जाने की वजह से मानसिक रूप से परेशान रहा और उसके दवा के लिए दौड़ धूप करता रहा बमाह जून सन् 1990 में तरफसानी ने विवादित स्थल में गोदाम व टीनशेड के पश्चिम तरफ गड्ढा खोदकर गड्ढा तक नाली खोदकर उसमें पी०वी०सी० पाईप लगाकर मिट्टी से ढक लिया और उसमें बहुत सा गंदा पानी बहाना चालू कर दिया जिसकी सूचना मुद्दई सायल ने प्रशासनिक कार्यवाही हेतु श्रीमान् एस०डी०एम० को दे दिया है। मुद्दई सायल के पिता की तबियत बमाह अगस्त सन 1990 से खराब रही तब तरफसानी ने बावजूद इल्म व वाकाफियत हुक्म ए इम्तिनाई आरजी विवादित स्थल में स्थित गोदाम के आगे खाली जमीन में ईटा बिछाकर प्लास्टर करा लिया और गोदाम जिसमें तरफसानी रहता है उसके सामने ईट की दीवाल दक्षिण तरफ बना लिया तथा गोदाम के उत्तर तरफ पूरब, पश्चिम लम्बाई में एक टीन शेड लगवाकर उसमें लैट्रीन बनवा लिया और तरफसानी ने मुद्दई सायल के द्वारा मना किए जाने पर यह कहा कि अदालत ने हुक्म ए इम्तिनाई के आदेश की कोई परवाह नहीं करता है और तरफसानी अपने इस फेल बेजा से महज अदालत के आदेश की तौहीनी की गरज से किया है। मुद्दई सायल अपनी लड़की की एक्सीडेण्ट की वजह से बमाह मई सन 90 से मानसिक रूप से परेशान रहा और उसके दवा के लिए दौड़धूप करता रहा तथा अपने पिता जी की लम्बी बीमारी एवं दिनांक 27 नवम्बर 1990 को पिताजी की मृत्यु की वजह से मुद्दई सायल मानसिक रूप से परेशान रहने लगा जिसकी वजह से मुद्दई सायल की तबियत खराब रहने लगी और जब मुद्दई सायल का स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ तो मुद्दई सायल प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अदालत हाजा में उचित कानूनी कार्यवाही के लिए दे रहा है। तरफसानी का फेलबेजा सरीही मुजरिमाना है और इसकी वजह से अदालत हाजा की तौहीनी हुयी है और तरफसानी आज भी यह धमकी दे रहा है कि यह जायदाद निजाई मुनहिरा हरूफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे मुन्दर्ज नक्शा वादपत्र में तामीर व तनसीख करता रहेगा उसे जो करना हो वह करे। तरफसानी के इस फेल बेजा के लिए तरफसानी को उचित दण्ड मिलना आवश्यक है।

- 03.** तरफसानी जयप्रकाश द्वारा अपने आपत्ति 22 ग के माध्यम से यह कथन किया गया है कि सायल श्रीराम ने उपरोक्त मुकदमा तरफसानी के विरुद्ध झूठे तथ्यों के साथ दाखिल किया है। सायल श्रीराम ने मूल वाद नम्बरी-55

दीवानी सन् 1982 झूठे तथ्यों के साथ दाखिल किया है और मूल वाद नं०-55 दीवानी सन् 1982 मौके के निसवत गलत नक्शा नजरी वादपत्र में प्रस्तुत किया गया और मूलवाद नं० 55 दीवानी सन् 82 में तरफसानी के तरफ से आपत्ति व जवाबदेही दाखिल की गयी और मूलवाद नम्बर-55 दीवानी सन् 82 न्यायालय में विचाराधीन है। मूलवाद में वकील कमिश्नर श्री लालजी तिवारी एडवोकेट ने मौके के निसवत गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया। वकील कमिश्नर लाल जी तिवारी एडवोकेट ने मौके पर सभी चीजों व उन निर्माणों की स्थिति कूड़ा , टीनशेड, नाली, सीढ़ी, आदि का कोई निरीक्षण नहीं किया और बिना नापजोख अपनी रिपोर्ट व नक्शा प्रस्तुत किया है। हरगिज रिपोर्ट कमिश्नर उक्त ने तरफसानियान की मौजूदगी में कोई पैमाईश की कार्यवाही नहीं किया था। न तरफसानियान को किसी आदेश को समझाया बुझाया था न कोई नोटिस दिया और न ही कोई नोटिस लेने से तरफसानी ने इंकार ही किया था। तरफसानी ने माननीय न्यायालय के किसी आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया है और न तो मूल वाद में न्यायालय में उपस्थित होकर आदेश की जानकारी होने पर तरफसानी ने विवादित आराजी में कोई परिवर्तन किया न कोई नई खिड़की कायम किया न कोई नई चिमनी लगाया न कोई नई सीढ़ी कायम किया बल्कि खिड़की चिमनी आदि सभी चीजें सायल वादी के दावा दाखिल करने के पहले से चली आ रही है। जमीन निजाई में मेसर्स के० मुरारीलाल एण्ड संस का कारोबार होता है और इनका रजिस्ट्रेशन दि० 13/02/1993 को स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में हुआ है और बिला कूड़ा के रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। सायल ने झूठे तथ्यों के साथ पूर्व में भी तरफसानी के विरुद्ध प्रार्थनापत्र ऑर्डर 39 कायदा 2 ए जास्ता दीवानी दिया जिसमें पारित निर्णय के विरुद्ध तरफसानी के तरफ से सक्षम न्यायालय में अपील दाखिल की गयी जो श्रीमान् सिविल जज महोदय ज्ञानपुर जिला भदोही के यहा विचाराधीन है। विवादित आराजी में तरफसानी ने कूड़े पर न नया चरखी लगाया न रंग पकाने वाला मशीन लगाया न उसका फाउण्डेशन बनाकर जनरेटर सेट लगवाया बल्कि यह सभी चीजे कूड़ा चरखी मशीन जेनरेटरसेट सायल वादी के दावा दाखिल करने के पहले से चली आ रही है हरगिज सायल वादी ने कभी किसी भी प्रकार का रोक टोक तरफसानी को नहीं किया था। हरगिज माह जून सन् 1990 तरफसानी ने नया गङ्गा खोदकर नया नाली नहीं बनवाया न उपरोक्त आराजी में नया पाईप कायम किया बल्कि यह सभी चीजें सायल वादी के दावा दाखिल करने से पहले से चली आ रही है अगर सायल वादी सबूत तैयार करने की गरज से कोई प्रार्थनापत्र प्रशासनिक अधिकारियों के यहा दिया हो तो उसकी कोई पाबंदी तरफसानी पर नहीं है। तरफसानी दौरान मुकदमा विवादित आराजी में कोई नया ईंट बिछाकर प्लास्टर नहीं कराया न कोई नई दीवाल बनाया न कोई टीनशेड कायम किया न कोई नया लेटरीन रूम कायम किया बल्कि यह सभी

चीजें सायल वादी की दावा दाखिल करने के पहले से स्थित चली आ रही है। हरगिज सायल वादी द्वारा तरफसानी को कभी मना नहीं किया गया न ही तरफसानी सायल से यही कहा कि उसे अदालत के हुक्म ए इम्तिनाई आदेश का कोई परवाह नहीं है। हरगिज सायल किसी एक्सीडेण्ट के मामले में बाहर नहीं गया बराबर वह घर पर ही रहता रहा कभी कोई उच्च नहीं किया। तरफसानी ने सायल वादी को किसी भी प्रकार की कोई धमकी नहीं दिया न ही तरफसानी ने यह ही कहा कि तरफसानी को माननीय न्यायालय के आदेश की कोई परवाह नहीं है वह तरमीम तामीर या तनसीख विवादित आराजी में करता रहेगा। सायल महज तरफसानी को हैरान व परेशान करने की गरज से नाजायज दबाव डालने की गरज से झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तरफसानी बिल्कुल निर्दोष है तरफसानी के विरुद्ध कोई हुक्म अदुली का मामला नहीं बनता है। दरखास्त सायल जिस तौर पर प्रस्तुत की गयी है वह कानून मेन्टेनेबुल नहीं है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि दरखास्त सायल अंतर्गत आदेश 39 कायदा 2 ए जाब्ता दीवानी निरस्त किया जाकर तरफसानी को नोटिस से डिस्चार्ज किया जावे ताकि न्याय हो।

- 04.** वादी द्वारा प्रतिआपत्ति पत्र कागज संख्या 32 ग के माध्यम से कथन किया है कि शपथकर्ता सायल ने एक किता दावा खिलाफ तरफसानी व चन्द्रमोहन वगैरह बाबत हुक्म ए इम्तानाई व इन्हेदाम इस अप्र से दाखिल किया कि तरफसानी जयप्रकाश आदि के खिलाफ हुक्म ए इम्तिनाई इस बात की जारी हो कि बजमाना हाल या आइन्दा जमीन निजाई मुजहिरा हरूफ ए बी सी डी एफ जी एच आई जे मुन्दर्ज नक्शा जैल आरजी नालिश में तामीरात या तरमीम व तनसीख न करें और उसकी यथा स्थिति कायम रखें, जिसमें अदालत हाजा द्वारा दिनांक 11/01/1982 को आराजी निजाई के बाबत यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया गया। सायल के दरख्वास्त पर श्री लालजी त्रिपाठी एडवोकेट कमिश्नर ने अदालत के आदेश से आराजी निजाई का स्थल निरीक्षण सायल व तरफसानी के उपस्थिति में किया और मौके पर तरफसानी को हुक्म अदालत पढ़ कर सुनाया व समझा दिया कि वे जायदाद निजाई की यथास्थिति कायम रखने के लिये न्यायालय द्वारा बाध्य किये जा चुके हैं। मगर प्रतिवादी तरफसानी ने नोटिस नहीं लिया और नोटिस लेने से इंकार कर दिया। इसके बाद कमिश्नर महोदय ने मौके का मुआयना करके अपनी रिपोर्ट अदालत हाजा में प्रेषित कर दिया जिसके निस्वत कोई एतराज तरफसानी द्वारा नहीं दाखिल किया गया। विपक्षी प्रतिवादी का यह कहना कि उपरोक्त मूल वाद गलत तथ्यों के साथ दाखिल किया गया था उसमें श्री लालजी त्रिपाठी एडवोकेट कमिश्नर ने गलत रिपोर्ट दिया था, बिलकुल गलत व असत्य है। वाद अजा विपक्षी प्रतिवादी हाजिर अदालत आया और दरख्वास्त मोहलत एतराज दाखिल करने हेतु दिया इस तरीक पर विपक्षी तरफसानी को हुक्म अदालत की बखूबी जानकारी हो गयी और उसे यह भी

बखूबी मालूम था कि वह जायदाद निजाई में किसी भी प्रकार की कोई तामीरात तरमीम करने से मना किया जा चुका है। मुकदमा में विपक्षी प्रतिवादी ने अपनी जवाबदेही दिनांक 13/07/1983 | 07/09/1983 दाखिल किया जिस पर दिनांक 05/08/1983 को तनकीह बना दी गयी। विपक्षी तरफसानी ओमप्रकाश जानबूझकर हुक्म अदालत की तौहीन करने की बदनियती से आराजी निजाई में गोदाम के दक्षिणी दिवाल में पूरब तरफ बावजूद कायम रहने निषेधाज्ञा एक खिड़की लगा लिया और चिमनी मुकम्मल कर लिया और सिढ़ी लगा कर चिमनी चालू कर लिया तथा रंग पकाने का काम शुरू कर दिया। विपक्षी तरफसानी के इस फेल बेजा की वजह से हुक्म अदालत की तौहीन हुयी है और सायल ने खिलाफ विपक्षी तरफसानी हसब ऑर्डर 39 कायदा 2 ए जासा दीवानी के तहत कार्यवाही की जो बमुकदमा नम्बर 201 मुतफरका सन् 83 श्रीराम बनाम जयप्रकाश कायम होकर दिनांक 18/03/1985 को विपक्षी तरफसानी को अदालत हाजा में दोषी पाया गया। मुकदमा नम्बर -201 मुतफरका 1985 में विपक्षी तरफसानी जयप्रकाश को एक माह के व्यवहार कारावास की सजा व विवादित सम्पत्ति को 6 माह के लिये कुर्क किये जाने के लिये आज्ञा सादिर फरमायी गयी, जिसके खिलाफ तरफसानी विपक्षी जयप्रकाश ने मुतफरका अपील दायर किया जो बमुकदमा नम्बर 19 मुतफरका अपील सन् 1985 जयप्रकाश बनाम श्रीराम के नाम से कायम होकर न्यायालय श्रीमान् सिविल जज महोदय सिनियर डिविजन ज्ञानपुर के न्यायालय में दिनांक 08/12/1995 को फैसला हुआ जिसमें विपक्षी तरफसानी की अपील खारिज फरमायी गयी और न्यायालय का आदेश यथावत व कायम रखा गया। बावजूद आदेश यथास्थिति तरफसानी ने दौरान मुकदमा दिनांक सितम्बर सन् 1985 आराजी निजाई में स्थित पुराने भड़े को जो कमिशनर साहब के जाने के समय दिनांक 23/09/1983 तक मौजूद था को तोड़कर एक नया भट्ठा पक्का 3 फिट ऊँचा बना लिया तथा उस पर रंग पकाने वाली मशीन [चरखी] बैठा लिया है तथा फाउण्डेशन बनवाकर जेनरेटरसेट लगा लिया। विपक्षी तरफसानी का यह कहना कि मूल वाद नम्बर 55 सन् 1982 में उपस्थित होकर आदेश निषेधाज्ञा की जानकारी होने पर तरफसानी ने विवादित आराजी पर कोई परिवर्तन नहीं किया और न तो कोई खिड़की या चिमनी लगाया न कोई नई सिढ़ी कायम किया, बिल्कुल गलत है। यह सभी चीजें विपक्षी तरफसानी ने निषेधाज्ञा पारित होने व उसकी जानकारी हो जाने के पश्चात निर्माण किया। माननीय न्यायालय के आदेश उल्लंघन के क्रम में विपक्षी तरफसानी ने बावजूद निषेधाज्ञा कूड़े पर नया चरखी लगा लिया रंग पकाने की मशीन लगाया व उसका नया फाउण्डेशन बना लिया विपक्षी तरफसानी का यह कहना कि मूल वाद दाखिल करने से पहले यह सभी चीजें मौजूद थीं, यह कथन गलत व असत्य है। इसके अलावा दौरान कायम रहने निषेधाज्ञा आदेशविवादित

आराजी में नई ईंटा बिछवाकर प्लास्टर करवाया व नई दीवाल बनवाया व टीनशेड लगवाया तथा एक लैट्रीन रूम कायम किया, तरफसानी विपक्षी का यह कहना कि यह सभी चीजें दावा के पहले की हैं गलत हैं जैसा कि रिपोर्ट कमिश्नर से जो कि बाद दावा सर्वप्रथम कमिश्नर महोदय गये थे से जाहिर है। तरफसानी ने यह धमकी सायल वादी को दिया था कि माननीय न्यायाल के आदेश निषेधाज्ञा की परवाह वह नहीं करेगा। वह जैसा चाहेगा विवादित आराजी में तामीर व तरमीम करता रहेगा, जुमिला बयान दरख्वास्त व शपथपत्र मिन जानिव तरफसानी गलत है।

05. प्रार्थी/वादी ने अपने कथन के समर्थन में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित प्रपत्र दाखिल किये-

1. फेहरिस्त कागज संख्या-74 ग के माध्यम से नकल आदेश दिनांकित 09/02/1982 75 ग, अधिवक्ता कमिश्नर रिपोर्ट मूल वाद संख्या 55 सन् 82 [कागज संख्या 75 ग/5 से 75 ग/09 तक], नकल जवाबदेही श्री जयप्रकाश मूल वाद संख्या 55 सन् 82 [कागज संख्या 75 ग/11 से 75 ग/15 तक]

06. विपक्षी ने अपने कथन के समर्थन में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित प्रपत्र दाखिल किये-

1. फेहरिस्त कागज संख्या-48 ग के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एप्लीकेशन नं० 36507/1995 रिकॉर्ड प्रार्थना पत्र जयप्रकाश बनाम सिविल जज सिनियर डिवीजन [कागज संख्या-49 ग], नकल अपील माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद नं० 36507/1985 जयप्रकाश बनाम सिविल जज सिनियर डिवीजन [कागज संख्या-50 ग]
2. फेहरिस्त कागज संख्या 78 ग/1 से 78 ग/2 के माध्यम से निम्नलिखित कागज दाखिल किये गये।

(I) फोटो स्टेट कापी नकल संपूर्ण ऑर्डरशीट न्यायालय अपर सिविल जज जू०डिं० ज्ञानपुर भदोही, मु०नं०-55/1982 श्रीराम बनाम जयप्रकाश आदि [कागज संख्या-79 ग]

(II) फोटो स्टेट कापी नकल वादपत्र न्यायालय अपर सिविल जज जू०डिं० ज्ञानपुर भदोही मु०नं०-55/1982 श्रीराम बनाम जयप्रकाश आदि [कागज संख्या-80 ग]

(III) फोटो स्टेट कापी नकल संशोधन प्रार्थना पत्र न्यायालय अपर सिविल जज जू०डिं० ज्ञानपुर भदोही मु०नं०-55/1982 श्रीराम बनाम जयप्रकाश आदि [कागज संख्या-81 ग]

(IV) फोटो स्टेट कापी नकल बयान पी०डब्ल्यू०-2 न्यायालय अपर सिविल जज जू०डिं० ज्ञानपुर भदोही मु०नं०-55/1982 श्रीराम बनाम जयप्रकाश आदि [कागज संख्या-82 ग]

(V) फोटो स्टेट कापी नकल निर्णय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश ज्ञानपुर भदोही मु०नं० -57/2008 श्रीराम बनाम जयप्रकाश आदि [कागज संख्या-83 ग]

(VI) नकल आदेश दिनांकित 15/10/2016 न्यायालय अपर सिविल जज सी०डी० भदोही ज्ञानपुर मु०नं०-317/2014 श्रीराम बनाम जयप्रकाश आदि [कागज संख्या 84 ग]

(VII) फोटो स्टेट निर्णय दिनांकित 20/12/2019 न्यायालय अपर सिविल जज सी०डी० भदोही ज्ञानपुर प्रकीर्ण अपील संख्या 67 सन् 2016 श्रीराम बनाम बासदेव आदि [कागज संख्या-85 ग]

(VIII) फोटो स्टेट मूल नकल आदेश दिनांकित 15/12/1995 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मु०नं०-36507 सन् 1995 जयप्रकाश बनाम सिविल जज सी०डी० [कागज संख्या-86 ग]

(IX) फोटो स्टेट कॉपी नकल आदेश दिनांकित 28/10/2014 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मु०नं०- 14520 सन् 2009 श्रीराम बनाम जयप्रकाश आदि [कागज संख्या-87 ग]

(X) फोटो स्टेट कॉपी नकल आदेश दिनांकित 28/10/2014 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मु०नं०- 55717 सन् 2008 श्रीराम बनाम जयप्रकाश आदि [कागज संख्या-87 ग]

07. मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी द्वारा बतौर पी०डब्ल्यू० -1 साक्ष्य शपथ पत्र 54 क श्रीराम का दाखिल किया गया जिससे दिनांक 16/10/2017 को जिरह की गयी। अन्य कोई मौखिक साक्ष्य वादी द्वारा न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में डी०डब्ल्यू० -1 जयप्रकाश का साक्ष्य शपथपत्र-68 क दाखिल किया गया जिससे दिनांक 24/08/2022, 26/08/2022 व 15/09/2022 को जिरह की गयी। प्रतिवादी द्वारा भी अन्य कोई साक्ष्य न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया।

08. कमीशन रिपोर्ट 21 ग को प्रस्तुत आपत्ति के आलोक में पूर्व में साक्षाधीन पुष्टि किया जा चुका है।

09. प्रार्थना पत्र 4 ग व आपत्ति के आलोक में प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये जाने हेतु अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या विपक्षी द्वारा साशय न्यायालय के यथास्थिति के आदेश दिनांकित 09.08.1982 का जून सन् 1990 व अगस्त सन् 1990 में उल्लंघन कर विवादित सम्पत्ति की स्थिति में परिवर्तन किया गया है?

10. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

- 11.** आदेश-39 नियम-2 ए सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में यह साबित करना आवश्यक है कि न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया हो तथा दोषी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर जानकारी के बावजूद उसकी अवहेलना की गयी हो।
- 12.** प्रार्थी द्वारा संक्षेप में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी ने न्यायालय में मूलवाद संख्या 55/1982 बाबत हुक्म ए इम्तिनाई विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय से दायर किया था कि तरफसानी व चन्द्रमोहन बजमाना हाल या आइन्डा किसी किस्म की कोई तामीरात, तसीम, तनसीख अंदर जमीन निजाई न करें और जमीन निजाई मुजहिरा हरूफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे मुन्दर्ज नक्शा जैल अरजी नालिश की यथास्थिति कायम रखें और नवइयत जमीन निजाई तब्दील न करें। उक्त वाद मे दिनांक 09/02/1982 को न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि- "Issues notice fixing 11.3.82 for objection and disposal meanwhile status quo to be maintained on plot in suit." उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रतिवादी ने बमाह अगस्त सन 1983 को एक खिड़की जमीन निजाई में गोदाम से जिसमें रहते हैं दक्षिणी दीवाल में दरवाजे के पूरब तरफ लगा लिया और मुकम्मल चिमनी लगा लिया और सीढ़ी लगाकर चिमनी का कार्य शुरू कर दिया और रंग पकाने का काम जारी कर दिया और इस समय भी रंगाई का कार्य चल रहा है। तरफसानी के उक्त कृत्य की वजह से मुद्दई सायल ने तरफसानी के विरुद्ध हसब आर्डर 39 कायदा 2 ए जाब्ता दीवानी के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 06/09/1983 व 07/09/1983 को दिया जो मुकदमा नम्बर 201 मुतफरका दीवानी सन् 1983 है। मुकदमा नंबर 201 मुतफरका दीवानी सन् 1983 श्रीराम बनाम जयप्रकाश में बतारीख 18/03/1985 को अदालत हाजा ने तरफसानी के विरुद्ध 39 कायदा 2 ए जाब्ता दीवानी के तहत यह आदेश पारित किया कि विवादित सम्पत्ति 6 माह के लिए कुर्क की जाती है तथा विपक्षी को एक माह का व्यवहार कारावास की सजा दी जाती है। बदनियती से बमाह जून सन् 1990 में तरफसानी ने विवादित स्थल में गोदाम पर टीनशेड के पश्चिम तरफ गड्ढा खोदकर मडहा तक नाली खोदकर उसमें पी०वी०सी० पाईप लगाकर मिट्टी से ढक लिया और उसमें बहुत सा गंदा पानी बहाना चालू कर दिया जिसकी सूचना मुद्दई सायल ने प्रशासनिक कार्यवाही हेतु दे दिया था। मुद्दई सायल के पिता की तबियत बमाह अगस्त सन् 1990 से खराब रही तब तरफसानी ने बावजूद इल्म व वाकाफियत हुक्म ए इम्तिनाई आरजी विवादित स्थल में स्थित गोदाम के आगे खाली जमीन में ईंटा बिछाकर प्लास्टर करा लिया और गोदाम जिसमें तरफसानी रहता है उसके सामने ईंट की दीवाल दक्षिण तरफ

बना लिया तथा गोदाम के उत्तर तरफ पूरब , पश्चिम लम्बाई में एक टीन शेड लगवाकर उसमें लैट्रीन बनवा लिया।

प्रतिवादी द्वारा अपनी आपत्ति कागज संख्या -22 ग के माध्यम से यह कथन किया गया है कि मूल वाद 55/1982 में वकील कमिश्नर लालजी तिवारी द्वारा मौके की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और विपक्षी की मौजूदगी में कोई पैमाईश की कार्यवाही नहीं करी गई थी ना ही किसी आदेश को समझाया बुझाया गया था और ना ही कोई नोटिस दी थी जिसे लेने से विपक्षी ने इनकार किया हो। विपक्षी ने माननीय न्यायालय के आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया था। विवादित आरजी में सभी चीजें वादी के दावा दाखिल करने के पहले से चली आ रही हैं। विवादित आराजी में कूड़े पर नया चरखी , रंग पकने वाली मशीन , उसका फाउंडेशन जेनरेटर सेट लगाने हेतु, गड्ढा, नाली व पाइप वादी के दावा दाखिल करने के पहले से चली आ रही हैं।

- 13.** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **फुड कॉर्पोरेशन बनाम सुखप्रसाद, (2009)5 एस०सी०सी० 665** में यह विधिक मत प्रकट किया गया है कि-

"The power exercised by a court under order 39, Rule 2A of the Code is punitive in nature, akin to the power to punish for civil contempt under the Contempt of Courts Act, 1971. The person who complains of disobedience or breach has to clearly make out beyond any doubt that there was an injunction or order directing the person against whom the application is made, to do or desist from doing some specific thing or act and that there was disobedience or breach of such order. While considering an application under Order 39 Rule 2A, the court cannot construe the order in regard to which disobedience/breach is alleged, as creating an obligation to do something which is not mentioned in the 'order' on surmises suspicions and inferences. The power under Rule 2A should be exercised with great caution and responsibility."

अतः वादी को यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी द्वारा दौरान मुकदमा न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करते हुए जून सन् 1990 में विवादित स्थल में गोदाम पर टीनशेड के पश्चिम तरफ गड्ढा खोदकर मड्हा तक नाली खोदकर उसमें पी०वी०सी० पाईप लगाकर मिट्टी से ढक लिया और अगस्त सन् 1990 में विवादित स्थल में स्थित गोदाम के आगे खाली जमीन में ईंटा बिछाकर प्लास्टर करा लिया और गोदाम जिसमें तरफसानी रहता है उसके सामने ईंट की दीवाल दक्षिण तरफ बना लिया तथा गोदाम के उत्तर तरफ पूरब , पश्चिम लम्बाई में एक टीन शेड लगवाकर उसमें लैट्रीन बनवा लिया।

14. प्रार्थी/वादी श्रीराम द्वारा बतौर पी. डब्लू. 1 अपने साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 54 के में यह कथन किया गया है कि जून सन् 1990 में तरफसानी ने विवादित स्थल में गोदाम पर टीनशेड के पश्चिम तरफ गङ्गा खोदकर मडहा तक नाली खोदकर उसमें पी०वी०सी० पाईप लगाकर मिट्टी से ढक लिया और उसमें बहुत सा गंदा पानी बहाना चालू कर दिया। अगस्त सन् 1990 में तरफसानी ने विवादित स्थल में स्थित गोदाम के आगे खाली जमीन में ईटा बिछाकर प्लास्टर करा लिया और गोदाम जिसमें तरफसानी रहता है उसके सामने ईट की दीवाल दक्षिण तरफ बना लिया तथा गोदाम के उत्तर तरफ पूरब, पश्चिम लम्बाई में एक टीन शेड लगावाकर उसमें लैट्रीन बनवा लिया। पत्रावली पर उपलब्ध इस मुकदमे की कमीशन आख्या कागज संख्या 21 ग दिनांकित 24/07/1991 पर वादी द्वारा अप्पत्ति दिनांकित 24/08/1991 दाखिल की गई है और उक्त कमीशन आख्या 21 ग पूर्व में साक्षाधीन पुष्ट हो चुकी है। गौरतबल यह है कि वादी श्रीराम द्वारा बतौर पी०डब्ल्यू०-1 अपनी जिरह दिनांकित 16/10/2017 में यह कथन किया है कि "यह मुझे याद नहीं है कि विवादित आराजी में ईट किस सन् में किस महीना में बिछाया गया यह मुझे याद नहीं है। प्रतिवादी का विवादित जमीन में सेट बना है यह टीन सेट 1990 में किस महीना में बना महीना याद नहीं है। जब टीन सेट बना था तब अमीन गये थे। विवादित आराजी में कमरा, हाल बना हुआ है। विवादित आराजी में कौन सा निर्माण कब बना है मुझे याद नहीं है।" स्वयं प्रार्थी/वादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा तथा जिरह में किए गए कथन में विरोधाभास है। प्रार्थी/वादी द्वारा जिरह में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि कौन सा निर्माण कब हुआ उसे याद नहीं। अतः प्रार्थी/वादी का कथन कि विपक्षी द्वारा साशय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर विवादित संपत्ति की स्थिति में माह जून सन् 1990 व अगस्त सन् 1990 में परिवर्तन किया गया है, इस सम्बन्ध में समुचित साक्ष्य का अभाव है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था माखन सिंह बनाम श्याम सिंह व अन्य मैटर अंडर आर्टिकल 227 नं०. - 8804 of 2019 निर्णय दिनांकित 18 दिसम्बर, 2019 में यह विधिक मत प्रकट किया गया है कि-

"The proceedings under Rule 2A of order XXXIX are of a serious nature and in terms thereof the Court is empowered to take away the liberty of an individual and order detention of the person who violated the order. The power being of a penal nature the burden lies heavily on the person who alleges disobedience to prove the offence beyond reasonable doubt."

15. प्रार्थी/वादी द्वारा बतौर पी०डब्ल्यू०-1 अपनी जिरह दिनांकित 16/10/2017 में यह स्वीकार किया है कि "विवादित आराजी में मेरा व जयप्रकाश का कब्जा सामूहिक है।" चूंकि प्रार्थी/वादी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि

विवादित भूमि जिसके संबंध में दिनांक 09/02/1982 को यथास्थिति का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया था वादी एवं विपक्षी के सामूहिक कब्जे में थी और विपक्षी द्वारा उक्त आदेश की कथित अवमानना किए जाने के संबंध में प्रार्थी/वादी द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं करवाया गया है, इन परिस्थितियों में प्रार्थी/ वादी विपक्षी द्वारा आदेश दिनांकित 09/02/1982 की जानबूझकर जून सन् 1990 व अगस्त सन् 1990 में अवज्ञा करना (wilful disobedience) साबित करने में असमर्थ रहा है।

- 16.** मूल वाद संख्या 55/1982 की कमीशन रिपोर्ट कागज संख्या 75 ग/6 लगायत 75 ग/8 दिनांकित 16/02/1982 पत्रावली पर संलग्न है। कमीशन रिपोर्ट कागज संख्या 75 ग/6 लगायत 75 ग/8 में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि "आदेश को मुद्दालेहम को वादी के शिनाख्त पर तस्वीक करके पढ़कर सुनाया व समझाया। हुक्म इम्तिनाई एवं नोटिस की प्रति लेने को कहा लेकिन वे लोग कर्ताई इनकार किये।" विपक्षी द्वारा अपनी आपत्ति कागज संख्या -22 ग के माध्यम से यह कथन किया गया है कि मूल वाद - 55/1982 में वकील कमिश्नर लालजी तिवारी द्वारा मौके की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और विपक्षी की मौजूदगी में कोई पैमाईश की कार्यवाही नहीं करी गई थी ना ही किसी आदेश को समझाया बुझाया गया था और ना ही कोई नोटिस दी थी जिसे लेने से विपक्षी ने इनकार किया हो। उल्लेखनीय यह है कि दावा दाखिल करते समय जो कमीशन कराया गया था वह मौके की स्थिति का निश्चायक सबूत नहीं होता है क्योंकि उस कमीशन आख्या पर पक्षकार की आपत्ति का निस्तारण न्यायालय द्वारा किया जाना होता है और आपत्ति के आलोक में ही कमीशन रिपोर्ट पुष्ट अथवा अपुष्ट की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि मूल वाद संख्या 55/1982 में कमीशन संपुष्ट था अथवा नहीं जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रश्नगत समयसीमा में मौके की स्थिति क्या थी।

- 18.** पत्रावली पर इस वाद की कमीशन रिपोर्ट कागज संख्या 21 ग दाखिल है। प्रार्थी/ वादी द्वारा कथित निर्माण कि दौरान वाद सन् जून 1990 व अगस्त 1990 में विपक्षी ने गोदाम के सामने ईट की दीवार दक्षिण तरफ तथा गोदाम के उत्तर तरफ पूर्व पश्चिम लंबाई में टीन शेड बना लिया है, कमीशन आख्या में प्रदर्शित नहीं किया है और इस संबंध में वादी द्वारा आपत्ति भी की गई है। उक्त कमीशन रिपोर्ट 21 ग पूर्व में साक्षाधीन हो चुकी है। पूर्व में यथास्थिति के आदेश का उल्लंघन करने के कारण प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद संख्या -201 सन् 1983 योजित किया गया था जिसमें ऑर्डर 39 कायदा 2 ए जास्ता दीवानी के तहत यह आदेश पारित किया गया कि विवादित संपत्ति 6 माह के लिए कुर्क की जाती है तथा विपक्षी को एक माह का व्यवहार कारावास की सजा दी जाती है। वादी द्वारा ऐसा कोई संपोषक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह

साबित हो सके कि पुनः माह जून सन् 1990 व माह अगस्त सन् 1990 में उक्त कथित निर्माण जो कमीशन रिपोर्ट कागज संख्या-21 ग में दर्शित नहीं है, विपक्षी द्वारा दौरान वाद जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करने हेतु किया गया है।

- 19.** उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, साक्ष्य, विधिक प्रावधानों एवं विधिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रार्थी/वादी अपना वाद सिद्ध करने में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं। अतः दावा प्रार्थी/वादी निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/आवेदक का वाद अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जास्ता दीवानी खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 11/09/2023

(शिंजिनी यादव)

अपर सिविल जज (जू०डि०) द्वितीय
भदोही-ज्ञानपुर।

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके मेरे द्वारा उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 11/09/2023

(शिंजिनी यादव)

अपर सिविल जज (जू०डि०) द्वितीय
भदोही-ज्ञानपुर।